राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 728/2025

रेनू कुमावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), जिला अजमेर।
3. श्री विश्राम जाट, पटवार मण्डल खण्डाच, तहसील किशनगढ़, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेशराज कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में पटवार मण्डल खण्डाच, तहसील किशनगढ़, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को पटवार मण्डल खण्डाच, तहसील किशनगढ़, अजमेर से दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर में बिना किसी ठोस प्रशासनिक कारण के एक वर्ष की अल्पावधि में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या को पटवार मण्डल लाम्बा–ा, तहसील अरांई से पटवार मण्डल खण्डाच, किशनगढ़, अजमेर में अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को उसके स्थान पर दुर्भावनापूर्वक, बिना किसी ठोस प्रशासनिक कारण के समायोजित कर दिया गया है। पूर्व में अपीलार्थी को प्रशासनिक कारणों से अवकाश आरक्षित से पटवार मण्डल खंडाच में रिक्त पद पर आदेश दिनांक 18.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा पदस्थापित किया गया था, किन्तु प्रशासनिक कारणों से उसे आदेश दिनांक 01.03.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा तहसील कार्यालय भू अभिलेख किशनगढ़, अजमेर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित के कारण नहीं किया गया है, बल्कि उसे एक वर्ष से भी कम समय में केवल निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को उसके वांछित स्थान पर समायोजित करने के लिए दुर्भावनापूर्वक स्थानांतरित किया गया है, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय डॉ. अजय कुमार शर्मा

बनाम राजस्थान राज्य द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर अपीलार्थी के स्थानांतरण के लिए प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। अपीलार्थी का पति भी क्षेत्रीय महाविद्यालय, राजस्थान सरकार, अजमेर में यू.डी.सी. के पद पर कार्यरत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल, खण्डाच, किशनगढ़ अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मण्डल दिलवाड़ा, नसीराबाद, अजमेर में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। प्रकरण के तथ्यों से निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य